

सं. 24: खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

| मद | 2022-23 | 2023 | 2024 | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | मार्च 31 | फर. 23 | मार्च 1 | मार्च 8 | मार्च 15 | मार्च 22 | मार्च 29 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 91-दिवसीय | | | | | | | | |
| 1.1 बैंक | 6191 | 6191 | 8870 | 9315 | 9273 | 10588 | 10155 | 18054 |
| 1.2 प्राथमिक व्यापारी | 20071 | 20071 | 20801 | 18037 | 17589 | 14929 | 18396 | 22676 |
| 1.3 राज्य सरकारें | 8038 | 8038 | 16384 | 16384 | 16384 | 16604 | 14376 | 5701 |
| 1.4 अन्य | 80638 | 80638 | 84728 | 90048 | 93538 | 97883 | 97848 | 88670 |
| 2 182-दिवसीय | | | | | | | | |
| 2.1 बैंक | 53154 | 53154 | 74065 | 74430 | 72096 | 68312 | 73225 | 84913 |
| 2.2 प्राथमिक व्यापारी | 97274 | 97274 | 73474 | 76367 | 82298 | 90444 | 90960 | 87779 |
| 2.3 राज्य सरकारें | 2592 | 2592 | 5037 | 5037 | 5337 | 4437 | 5220 | 4070 |
| 2.4 अन्य | 110072 | 110072 | 92465 | 96207 | 99610 | 102248 | 103819 | 102311 |
| 3 364-दिवसीय | | | | | | | | |
| 3.1 बैंक | 101834 | 101834 | 89312 | 86887 | 84588 | 83856 | 86148 | 91819 |
| 3.2 प्राथमिक व्यापारी | 146080 | 146080 | 169184 | 172500 | 172090 | 174631 | 170813 | 159085 |
| 3.3 राज्य सरकारें | 48284 | 48284 | 44559 | 44491 | 40500 | 41430 | 41542 | 41487 |
| 3.4 अन्य | 149086 | 149086 | 182504 | 176613 | 174322 | 167513 | 164039 | 165095 |
| 4 14-दिवसीय मध्यवर्ती | | | | | | | | |
| 4.1 बैंक | | | | | | | | |
| 4.2 प्राथमिक व्यापारी | | | | | | | | |
| 4.3 राज्य सरकारें | 212758 | 212758 | 224502 | 317650 | 267634 | 234820 | 239401 | 318736 |
| 4.4 अन्य | 926 | 926 | 638 | 296 | 613 | 607 | 1317 | 442 |
| कुल खजाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल को छोड़कर)# | 823313 | 823313 | 861383 | 866316 | 867625 | 872875 | 876542 | 871662 |

14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।